Chief Patron Prof. Ajay Taneja Hon'ble Vice Chancellor, KMCLU	Prof. Masood Alam Dean, Faculty of Legal Studies, KMCLU	Dr. Piyush Kumar Trivedi Head, Faculty of Legal Studies, Chairperson, Legal Aid Centre, KMCLU	Dr. Shweta Trivedi Co-ordinator, Legal Aid Centre, Faculty of Legal Studies, KMCLU

Date : 8^{th} September 2025

Venue : Basic Vidyalaya, Raipur, Chinhat, Lucknow.

Organized by : Faculty of Legal Studies

Key Highlights:

- On the occasion of International Literacy Day which is celebrated across the globe on 8th of September, the Faculty of Legal studies organised a Legal Aid Awareness campaign at Basic Vidyalaya, Raipur, Chinhat, Lucknow on the theme "Right to Education".

- The event commenced with the encouragement of P**rofessor Ajay Taneja Vice Chancellor**, Khwaja Moinuddin Chishti Language University, to the participants of Legal Aid Campaign. He motivated the students to use their legal knowledge in the service of society and reminded us that true education lies in empowering the underprivileged.

- **Professor Masood Alam**, Dean, Faculty of Legal Studies, talked about bridging the gap between Right To Education and practical implementation in classrooms.

- **Dr. Piyush Kumar Trivedi**, Head, Faculty of Legal Studies, gave a brief note on the Right to Education to the audience. He encouraged the parents to send their children, especially girls to the school.

- **Dr Shweta Trivedi**, faculty, highlighted the relevance of education for the economically deprived students. **Miss Tanya Sagar**, faculty informed the students about

supportive schemes like Sarv Shiksha Abhiyan. The students wholeheartedly participated in the awareness campaign and discussed various issues concerning Right to Education (Article 21-A Constitution of India) including Digitalization of education, Midday meal child welfare program, importance of education for girl child and disabled. The students highlighted the relevance of "Safe Drinking Water " and "Safe and Clean Toilets " in ensuring the Right to Education in the true sense.

- The students also talked at length about the fundamental duties (Article 51A (k) Constitution of India) of parents for encouraging their children, particularly from the deprived section of the society for school enrolment. The students also emphasized upon the duties of a responsible teacher, ensuring their presence in class and keeping themselves updated in domain knowledge of their subjects.

- The event concluded with a vote of thanks by the faculty, **Mr. Anshul Pandey**. The event was attended by the school children, guardians, and teaching staff.

- The campaign proved to be a grand success.

Glimpse of The Event

प्रधानाध्यापक-कक्ष
यू-डायस कोड
09270104501

प्रधानाध्यापक-कक्ष
यू-डायस कोड
09270104501

स्टाफ रूम

पूर्व माध्यमिक विद्यालय रायपुर
श्रीमती पुष्पा रावत
स्टाफ रूम
प्रधानाध्यापक-कक्ष

प्रधानाध्यापक-कक्ष

त्यमेव जयते
पूर्व माध्यमिक विद्यालय रायपुर
श्रीमती पुष्पा रावत
स्टाफ रूम
प्रधानाध्यापक-कक्ष

स्टाफ रूम
प्रधानाध्यापक-कक्ष

स्टाफ रूम
प्रधानाध्यापक -कक्ष
यू- डायस कोड
09270104501
विधि अध्ययन संकाय
निःशुल्क विधिक परामर्श

यमेव जयते
पूर्व माध्यमिक विद्यालय
श्रीमती पुष्पा रावत
स्टाफ रूम
प्रधानाध्यापक -कक्ष
यू- डायस कोड
09270104501
विधि अध्ययन संकाय
निःशुल्क विधिक परामर्श

तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाये ।"
मध्याहन भोजन गीत

Read on: https://samarsaleel.com/law-faculty-organized-legal-awareness-campaign-on-international-literacy-day/495272

लखनऊ मंगलवार
09 सितम्बर 2025
6

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ने चलाया विधिक सहायता अभियान

केपीपीएन संवाददाता

लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जो हर वर्ष आठ सितंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के विधि अध्ययन संकाय की ओर से राजधानी लखनऊ के चिनहट स्थित बेसिक विद्यालय रायपुर में एक भव्य विधिक सहायता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था शिक्षा का अधिकार।कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा के प्रोत्साहन संदेश से हुई। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपनी कानूनी जानकारी और शिक्षा का उपयोग समाज की सेवा में करें और याद रखें कि सच्ची शिक्षा वही है जो वंचित वर्ग को सशक्त बनाए। वहीं संकायाध्यक्ष प्रोफेसर मसूद आलम ने शिक्षा के अधिकार और उसके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटने पर जोर दिया।विधि संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पियूष कुमार त्रिवेदी ने उपस्थित अभिभावकों और छात्रों को शिक्षा के अधिकार पर संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली व्याख्यान दिया। उन्होंने विशेष रूप से माताओं पिताओं को प्रेरित किया कि वे अपनी बच्चियों को भी शिक्षा से वंचित न रखें और उन्हें अवश्य विद्यालय भेजें। इसी क्रम में संकाय की डॉक्टर श्वेता त्रिवेदी ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।

वहीं सुश्री तन्या सागर ने विद्यार्थियों को सरकार की सहायक योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान की जानकारी दी।इस अभियान में बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अनुच्छेद इक्कीस ए शिक्षा का अधिकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। इनमें शिक्षा का डिजिटलीकरण मिड डे मील योजना बाल कल्याण कार्यक्रम बेटियों की शिक्षा और दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई की अहमियत शामिल रही। विद्यार्थियों ने साफ पेयजल और स्वच्छ शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को शिक्षा के अधिकार की वास्तविक गारंटी बताया।छात्रों ने संविधान के अनुच्छेद इक्यावन ए क का भी उल्लेख किया जिसमें अभिभावकों को यह मौलिक कर्तव्य सौंपा गया है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। साथ ही उन्होंने शिक्षकों की जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया कि अध्यापक नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहें और अपने विषय का गहन ज्ञान लगातार अद्यतन करते रहें।कार्यक्रम के अंत में संकाय के शिक्षक श्री अंशुल पांडेय ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर विद्यालय के बच्चे अभिभावक और अध्यापक बड़ी संख्या में मौजूद रहे।यह जागरूकता अभियान हर मायने में सफल साबित हुआ और बच्चों तथा अभिभावकों दोनों को शिक्षा के अधिकार और उसकी अहमियत का गहरा संदेश देकर लौटा।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर विधि संकाय ने किया विधिक जागरूकता अभियान का आयोजन

September 8, 2025

लखनऊ,(समर सलिल)। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (8 सितंबर) के अवसर पर, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के विधि अध्ययन संकाय ने बेसिक विद्यालय, रायपुर, चिनहट में "शिक्षा का अधिकार" विषय पर एक विधिक जागरूकता अभियान चलाया।

कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो अजय तनेजा के संबोधन से हुई। उन्होंने प्रतिभागियों को समाज सेवा के लिए विधिक ज्ञान का उपयोग करने और शिक्षा को वंचितों को सशक्त बनाने का माध्यम बनाने के लिए प्रेरित किया।

विधि अध्ययन संकाय के डीन प्रो मसूद आलम ने शिक्षा के अधिकार और उसके व्यावहारिक कार्यान्वयन के बीच की खाई को भरने की आवश्यकता पर जोर दिया। संकायाध्यक्ष डॉ पीयूष कुमार त्रिवेदी ने अभिभावकों से खासकर अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का आग्रह किया। संकाय सदस्य डॉ श्वेता त्रिवेदी ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि सुश्री तान्या सागर ने 'सर्व शिक्षा अभियान' जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

इस अभियान में विद्यालय के छात्रों ने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। उन्होंने शिक्षा के अधिकार (संविधान के अनुच्छेद 21-ए) से जुड़े कई मुद्दों, जैसे डिजिटल शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना, और बालिका शिक्षा पर चर्चा की। छात्रों ने यह भी बताया कि स्वच्छ पीने का पानी और सुरक्षित शौचालय भी शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

छात्रों ने अभिभावकों को अपने मौलिक कर्तव्यों (अनुच्छेद 51-ए) की याद दिलाई और शिक्षकों से भी अपनी जिम्मेदारियों, जैसे समय पर कक्षा में उपस्थिति और विषय ज्ञान को अद्यतन रखने पर जोर देने का आग्रह किया।